उत्तर प्रदेश शासन
ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,
संख्या-15/2017/40/92-2-17-151(जांच)/2015
लखनऊ:: दिनांक:: 09 जनवरी, 2017

कार्यालय-ज्ञाप

जनपद फैजाबाद में प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के फेज-10 के पैकेज सं0-यू0पी0-13141 की निविदा को कूटरचित एवं फर्जी दस्तावेजों के आधार पर रिस्पॉसिव किये जाने आदि अनियमितताओं के लिए प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-06/2016/199/92-2-16-151जांच/2015 दिनांक 29-01-2016 द्वारा श्री एम0के0 श्रीवास्तव, तत्कालीन अधीक्षण अभियंता,ग्रामीण अभियंत्रण विभाग,परिमण्डल-फैजाबाद के विरूद्व उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के अंतर्गत आरोप पत्र देकर अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये प्रकरण की जॉच हेतु मुख्य अभियंता(प0क्षे0), ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0-लखनऊ को जॉच अधिकारी नामित किया गया। कालान्तर में शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-82/2016/2063/ 92-2-16-151जांच/2015 दिनांक 22-12-2016 द्वारा अपचारी अधिकारी, श्री एम0के0 श्रीवास्तव को तत्काल प्रभाव से निलम्बित करते हुये कार्यालय निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ से सम्बद्व कर दिया गया।

2- मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद बेंच इलाहाबाद के आदेश दिनांक 08-12-2016 द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में जॉच अधिकारी परिवर्तित किये जाने के संबंध में दिये गये निर्देशों के क्रम में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त जॉच अधिकारी परिवर्तित करते हुये मुख्य अभियंता (प0क्षे0), ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के स्थान पर श्री आर0सी0 बर्नवाल, प्रमुख अभियंता (ग्रामीण मार्ग) लोक निर्माण विभाग को एतदद्वारा पदेन जॉच अधिकारी नामित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2- जॉच अधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि विधिवत जांच कार्यवाही पूर्ण कर जांच-आख्या (दो प्रतियों में) एक माह में शासन में उपलब्ध करायें।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

सुरेश चन्द्रा
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-15/2017/40/(1)/92-2-2017 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

2- जांच अधिकारी/श्री आर0सी0 बर्नवाल, प्रमुख अभियंता (ग्रामीण मार्ग) लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत अनुशासनिक जॉच से संबंधित सभी अभिलेख पूर्व जॉच अधिकारी/मुख्य अभियंता (प0क्षे0), ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ से प्राप्त कर आरोप पत्र में यथास्थान अपने हस्ताक्षर कर अपचारी अधिकारी को उपलब्ध कराते हुये प्राप्ति रसीद शासन में तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

3- जांच अधिकारी/मुख्य अभियंता (प0क्षे0) ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को उनके पत्र सं0-528/ग्रा0अ0वि0/अनु0जांच-फैजाबाद/2016-17 दिनांक 05-12-2016 के क्रम में इस आशय से प्रेषित कि परिवर्तित जॉच अधिकारी/श्री आर0सी0 बर्नवाल, प्रमुख अभियंता(ग्रामीण मार्ग) लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को प्रश्नगत अनुशासनिक जॉच से संबंधित सभी अभिलेख उपलब्ध कराते हुये शासन को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

4- श्री एम0के0 श्रीवास्तव, तत्कालीन अधीक्षण अभियंता,ग्रा0अभि0वि0,परिमण्डल-फैजाबाद सम्प्रति कार्यालय निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रा0अ0वि0, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

5- अनुसचिव, ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(बाबूराम)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।